



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

R

D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

एल-एल0एम0 (प्रथम) वर्ष परीक्षा 2002 (संस्थागत) की अंकतालिका

Marksheet of LL.M. First Year (Regular) Examination 2002

अनुक्रमांक Roll No. : 165301

अभ्यर्थी का नाम : अभिषेक कुमार बगड़िया

Name of Candidate : ABHISHEK KUMAR BAGARIA

नामांकन सं० :

Enrolment No

प्रश्न पत्र		अधिकतम अंक Max. Marks	न्यूनतम अंक Min. Marks	प्राप्तांक Marks Obtained	परीक्षाफल Result
प्रथम	जुरिस्प्रूडेन्स	100	40	47	उत्तीर्ण Pass
द्वितीय	कान्स्टीच्यूशनल लॉ आफ इण्डिया	100	40	45	
तृतीय	लीगल एस्से	100	40	45	
चतुर्थ	इन्टरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स	100	40	57	
पंचम	इन्टरप्रेटेशन आफ स्टैट्यूट्स	100	40	64	
सम्पूर्ण योग Grand Total		500	250	258	
सम्पूर्ण योग (शब्दों में) : दो सौ अठ्ठावन					
Grand Total (in Words) : Two Hundred Fifty Eight					

Attested
13-1-22
Spl. Judge (Possn Act) 2nd
Faizabad

हस्ताक्षर जांचकर्ता 1.....

Sign. of Checkers 2.....

दिनांक Date

कृते परीक्षा नियंत्रक

For Examination Controller

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

402363

एल-एल0एम0 (अन्तिम वर्ष) प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2003 की अंकतालिका
Marksheet of LL.M. (Final) First Semester Examination 2003

R

अनुक्रमांक : 99810
अभ्यर्थी का नाम : अभिषेक कुमार बगड़िया
पिता/पति का नाम : विनोद कुमार बगड़िया

नामांकन सं० :
Enrolment No.

प्रश्न पत्र		अधिकतम अंक Max. Marks	न्यूनतम अंक Min. Marks	प्राप्तांक Marks Obtained	परीक्षाफल Result
कान्सटीट्यूशनल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रुप Constitutional and Administrative Law Group	I ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ British Administrative Law	100	40	59	उत्तीर्ण Pass
	II इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ Indian Administrative Law	100	40	50	
इन्टरनेशनल लॉ ग्रुप International Law Group	I पब्लिक इन्टरनेशनल लॉ-पीस Public International Law-Peace	100	40	--	
	III इण्टरनेशनल अर्गनाइजेशन्स International Organisations	100	40	--	
क्रिमिनल लॉ ग्रुप Criminal Law Group	I प्रिन्सिपल्स आफ क्रिमिनल ला Principles of Criminal Law	100	40	--	
	II स्पेसिफिक रांग्स Specific Wrongs	100	40	--	
कान्ट्रैक्ट ग्रुप Contract Group	I जनरल प्रिन्सिपल्स आफ कान्ट्रैक्ट General Principles of Contract	100	40	--	
	II स्पेसिफिक कान्ट्रैक्ट Specific Contract	100	40	--	
योग		200	100	109	
सम्पूर्ण योग (शब्दों में) : एक सौ नौ					
Grand Total (in Words) : One Hundred Nine					

(R) : संस्थागत (E) : मूलपूर्व

हस्ताक्षर जांचकर्ता
Sign. of Checkers

1. *Aswika*
2. *Aswika*

कृते परीक्षा नियंत्रक
For Examination Controller

दिनांक Date 11.12.2004

Attended
13-1-22
Spl. Judge (Pecao Act) 2nd
Faizabad



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur

एल-एल0एम0 (अन्तिम वर्ष) परीक्षा 2003 की अंकतालिका

R

647892

Marksheet of LL.M. (Final) Examination 2003

अनुक्रमांक : 99810
अभ्यर्थी का नाम : अभिषेक कुमार बगड़िया
पिता/पति का नाम : विनोद कुमार बगड़िया

नामांकन सं० :
Enrolment No.

प्रश्न पत्र		अधिकतम अंक Max. Marks	न्यूनतम अंक Min. Marks	प्राप्तांक Marks Obtained	परीक्षाफल Result
कान्सटीट्यूशनल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रुप Constitutional and Administrative Law Group	I ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ British Administrative Law	100	40	59	उत्तीर्ण Pass Div. श्रेणी II
	II इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ Indian Administrative Law	100	40	50	
इन्टरनेशनल लॉ ग्रुप International Law Group	I पब्लिक इन्टरनेशनल लॉ-पीस Public International Law-Peace	100	40	--	
	II इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन्स International Organisations	100	40	--	
क्रिमिनल लॉ ग्रुप Criminal Law Group	I प्रिन्सिपल्स आफ क्रिमिनल ला Principles of Criminal Law	100	40	--	
	II स्पेसिफिक रांग्स Specific Wrongs	100	40	--	
कान्ट्रैक्ट ग्रुप Contract Group	I जनरल प्रिन्सिपल्स आफ कान्ट्रैक्ट General Principles of Contract	100	40	--	
	II स्पेसिफिक कान्ट्रैक्ट Specific Contract	100	40	--	
योग Total		200	100	109	
डिज़र्टेशन Dissertation		200	80	143	
मौखिकी Viva- Voce		100	40	71	
योग द्वितीय वर्ष Total Second Year		500	250	323	
योग प्रथम वर्ष Total First Year		500	250	258	
सम्पूर्ण योग Grand Total		1000	500	581	
सम्पूर्ण योग (शब्दों में) : पाँच सौ इक्यासी					
Grand Total (in Words) : Five Hundred Eighty One					

(R) : संस्थागत (E) : मूलपूर्व

हस्ताक्षर जांचकर्ता
Sign. of Checkers

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*

[Signature]
कृते परीक्षा नियंत्रक
For Examination Controller

दिनांक Date 16/6/2006

Attested
[Signature]
13-5-22
Spl. Judge (Passo Act) 2nd
Faizanad



क्रम संख्या: No 051412
Serial No. :

अनुक्रमांक : 99810
ROLL NO. :

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
DEEN DAYAL UPADHYAY GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR



मास्टर ऑफ़ लाज़
MASTER OF LAWS

प्रमाणित किया जाता है कि अभिषेक कुमार बगड़िया (दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर) ने इस विश्वविद्यालय की सन 2003 ई0 की परीक्षा में मास्टर ऑफ़ लाज़ की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की।

This is to certify that ABHISHEK KUMAR BAGARIA (Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur) obtained the degree of Master of Laws of this university in the examination of 2003 A.D. and that he / she was placed in Second division.

Attested
13-1-22
Sol. Judge (Pocco Act) 2nd
Faizabad

विजयादशमी / रामनवमी
VIJAYADASHMI / RAM NAVAMI

दिनांक : ४ जनवरी 2003
DATE :

M. Chandra
कुलपति
VICE-CHANCELLOR
12 NOV 2008

राज्य कमी लखनऊ 13 दिनांक 28-3-10 कमी 3/16

संख्या-1363/यो-4-2009-45(12)/91टीसी

प्रेषक,
कुंवर फतेह बहादुर,
मुख्य सचिव,
राज्य प्रवेश शासन।
सेवा में,
महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

257
21.5.09

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूल कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 शेड्यूल आयोग की रिपोर्ट वास्तुम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-वे0आ0-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Gee

(कुंवर फतेह बहादुर)

प्रमुख सचिव।

Shree J. K. Gaur
Kashmiri Gaur

District Judge
Ghaziabad

copy 15

1. A.D.J. Meerut

2. C.J. D. Ghaziabad

.....2

Two Copies
D. J. M. n.
22/5/09

27.5.09
1405

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2018

विषय:- उ0प्र0 न्यायिक सेवा के एलएल0एम0 उपाधिधारक अधिकारियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2018 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11255/चार-एफ-82(लूज)/एडमिन.(ए), दिनांक 07 अगस्त, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ शासनादेश संख्या-8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में श्री राज नारायण सिंह व श्री श्यामजीत यादव, मा0 न्यायाधीशगण के प्रत्यावेदन संलग्न कर शासन से इस भ्रम/आशय की स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे न्यायिक अधिकारियों, जिन्होंने एलएल0एम0 की उपाधि न्यायिक सेवा में आने/ज्वॉइनिंग की तिथि से पूर्व या बाद में प्राप्त की है, उन्हें तीन अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ किस तिथि से देय होगा? क्या यह लाभ ज्वॉइनिंग की तिथि से देय होगा? अथवा दिनांक 21-03-2002 से देय होगा? अथवा एलएल0एम0 की उपाधि प्राप्त करने की तिथि से देय होगा?

2- इस सम्बन्ध में शासन के आदेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)1991टी0सी0, दिनांक 13-05-2009 सपठित शासन के पत्र संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 03-01-2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस शासनादेश में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-03-2002 के अनुपालन में मा0 शेट्टी आयोग की संस्तुति को दिनांक 21-03-2002 से स्वीकार करते हुए उ0प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा के विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक अधिकारियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान की गयी थीं।

3- तत्पश्चात मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-1649(एस बी)/2013 नीलकान्त मणि त्रिपाठी व 29 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017, रिट याचिका संख्या-678(एस बी)/2014 अभय प्रताप सिंह-II बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017 तथा रिट याचिका संख्या-1496 (एस बी)/2015 संजय शंकर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-05-2017 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 13 अप्रैल, 2018 जारी करते हुए उसके प्रस्तर-4 (2) में यह स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में आने के पूर्व एलएल0एम0 की उपाधि रखते हैं, उन्हें सेवा में आने के दिनांक से अथवा शासनादेश लागू होने के दिनांक से, जो भी लागू हो, उन्हें उपाधि प्राप्त करने के दिनांक से तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ देय होंगी। चूँकि शासनादेश दिनांक 13-05-2009 के द्वारा उस तिथि से, जिस तिथि से शेट्टी कमीशन की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है; अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सं.

1-
2-
3-
4-
5-
6-

संस्तुतियों को मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-03-2002 द्वारा स्वीकार किया गया है अर्थात् उन्हें दिनांक 21-03-2002 से तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धियों देय होंगी। यह व्यवस्था मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03-05-2017 के प्रस्तर-60 में दिये गये तीन निर्देशों - (or from the date of implementation of the Government Order) के अनुरूप है। तदनुसार श्री राज नारायण सिंह व श्री श्यामजीत यादव के प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया जाय। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शीतला प्रसाद)
विशेष सचिव

संख्या-15/2018/940(1)/दो-4-2018, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र०, इलाहाबाद।
 - (2) महालेखाकार, ऑडिट, प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र०, इलाहाबाद।
 - (3) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
 - (4) निदेशक, कोषागार निदेशालय, 30प्र०, लखनऊ।
 - (5) निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
 - (6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
 - (7) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
 - (8) समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, 30प्र०।
 - (9) समस्त कोषाधिकारी, 30प्र०।
 - (10) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, 2 व 3, 30प्र० सचिवालय।
 - (11) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5/ वित्त(वेतन-आयोग) अनुभाग-2, 30प्र० सचिवालय।
 - (12) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, 30प्र० सचिवालय।
 - (13) समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
 - (14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
उप सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shesanaresh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

गति ज्ञे
3-05
71

संख्या-8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91टी0सी0

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2018

विषय:- रिट याचिका संख्या-1649(एस बी)/2013 नीलकान्त मणि त्रिपाठी व 29 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017, रिट याचिका संख्या-678(एस बी)/2014 अभय प्रताप सिंह-II बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017 तथा रिट याचिका संख्या-1496 (एस बी)/2015 संजय शंकर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-05-2017 के अनुपालन में उ0प्र0 न्यायिक सेवा के एलएल0एम0 उपाधिधारक अधिकारियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-03-2002 के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को शासन के आदेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 13 मई, 2009 तथा सपठित शासन के पत्र संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 03-01-2013 द्वारा मा0 शेट्टी आयोग की संस्तुति को दिनांक 21-03-2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों प्रदान की गयी थीं।

2- इसी प्रकार रिट याचिका संख्या-सी-19/2012 भरत कुमार शान्तीलाल ठक्कर बनाम गुजरात राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-04-2014 के क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15-11-2014 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21-03-2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एलएल0एम0) धारित करने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी शासन के आदेश संख्या-2/2015/355/दो-4-2015-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-03-2015 द्वारा 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया था।

3- इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित विषयगत तीनों रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 08-05-2017 एवं 03-05-2017 के प्रस्तर-60 में निम्न व्यवस्था दी गयी :-

60. Accordingly, letter dated 03.01.2012 is quashed and the Government Orders dated 13.05.2009 and 27.03.2015 require clarification/modification to the extent they deny the benefit of three advance increments to those judicial officers who have

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

acquired/acquire higher qualification of LL.M. after joining the service, therefore, we direct that :-

- i. The benefit of three advance increments shall also be admissible to the petitioners as well as all other similarly situated judicial officers in the State of U.P.
- ii. The judicial officers who acquire the degree of LL.M. before joining the service shall be entitled to three additional increments from the date of joining the service or from the date of implementation of the Government Order, as the case may be, while those who have acquired/acquire the same after joining the service shall be entitled to these increments from the date of acquisition of the higher qualification of LL.M.
- iii. The additional increments shall continue to be drawn by the judicial officers on their further promotion and/or placement in higher pay scale, as the case may be.

The writ petitions are decided accordingly. No order as to costs.

4- उपर्युक्त आदेश दिनांक 03-05-2017 में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार शासन द्वारा जारी किये गये अनुपालन आदेश संख्या-6/2018/149/दो-4-2018-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 03-04-2018 एवं तत्क्रम में जारी शुद्धि-पत्र संख्या-7/2018/149 ए/दो-4-2018-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 04-04-2018 को सम्यक् विचारोपरान्त मा0 न्यायालय के आदेश के अनुरूप न होने के कारण उसे एतद्वारा निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 03-05-2017 (जिसमें दिनांक 08-05-2017 को प्रदत्त दोनों आदेश समाहित हैं), के समादर में बिन्दुवार अनुपालन करते हुए श्री राज्यपाल निम्नानुसार संशोधित/पुनरीक्षित आदेश जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में आने के उपरान्त विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं, उन्हें 03 अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा।
- (2) ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में आने के पूर्व एलएल0एम0 की उपाधि रखते हैं, उन्हें सेवा में आने के दिनांक से अथवा शासनादेश लागू होने के दिनांक से, जो भी लागू हो, अथवा ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में आने के उपरान्त एलएल0एम0 की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें उपाधि प्राप्त करने के दिनांक से 03 अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ देय होंगी।
- (3) उपर्युक्त अतिरिक्त वेतनवृद्धियों का लाभ सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति/उच्च वेतनमान में जाने पर, जो भी स्थिति हो, मिलता रहेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-वे.आ. 2-206/दस-2018, दिनांक 13-04-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिवन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च 2015

विषय:- प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेडटी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2002 के अनुपालन में 30प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 शेडटी आयोग की संस्तुति एवं तत्कम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2002 के अनुपालन में उक्त संस्तुति को दिनांक 21-3-2002 से स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित एवं चयन के समय ही विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी.सी., दिनांक 13 मई, 2009 सपठित शासनादेश संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी.सी., दिनांक 03 जनवरी, 2012 द्वारा प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-19/2012, भरत कुमार शान्तिनाथ ठक्कर बनाम् गुजरात राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-04-2014 एवं तदुक्त में महानिवन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-16117 / IV f 82(loose), दिनांक 15-11-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21-3-2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एलएल0एम0) धारित करने वाले 30प्र0 न्यायिक सेवा एवं 30प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- वे0आ0-2-323/दस-2015, दिनांक 25-3-15 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव